



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1235/DL/9/2023-ESDW

दिनांक: 27.05.2024

सेवा में,

✓ प्रोफेसर डॉ. संजीव कुमार,  
प्रधानाचार्य,  
ललित कला महाविद्यालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
20-22 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001,  
ई-मेल: prcoa.delhi@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थी को ललित कला महाविद्यालय में (B.F.A) कोर्स में प्रवेश नहीं देने के संबंध में श्री मनोहर लाल मीना, जी. बी.-118, पुल-प्रहलादपुर, नई-दिल्ली-110044 का दिनांक 29/12/2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 19.01.2023.

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) जी ने उक्त प्रकरण में दिनांक 07.06.2024 को अप्राह्न 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग/सुनवाई तय की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप उक्त मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों/कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पर माननीया सदस्य महोदय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो आयोग, आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ए के खंड (8) के तहत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मनोहर लाल मीना,  
जी. बी.-118, पुल-प्रहलादपुर,  
नई-दिल्ली-110044